इकाई	पाठ्यक्रम/विषय वस्तु	उद्देश्य	संसाधन/क्रियाशीलन
8. कृषि और खेतिहर समाज	• विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास • ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत • वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन संदर्भ बिहार—केला, गेड़ें, लीची USA—गेहूँ, कपास	• छात्रों में कृषि के प्रति लगाव और सम्मान का भाव पैदा करना • कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है • कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए लाभदायक होता है।	• चित्र/वीडियो/वार्तालाप क्षेत्र भ्रमण
9. शांति प्रयास	**राष्ट्र संघ** • राष्ट्रसंघ का प्रयास • राष्ट्रसंघ की विफलता • संयुक्त राष्ट्रसंघ • उद्देश्य, सफलता	• शांति स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है • शांति में विकास निहित होता है • परस्पर विश्वास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शांतिप्रयासों को मजबूती प्रदान करते हैं।	• विडियो क्लिप/फिल्में/ चित्र वाद-विवाद/ मानचित्र अध्ययन/ अखबारों-पत्रिकाओं में छपे बयान

इकाई—II भारत भूमि एवं लोग

इकाई	Key Concept (मूल अवधारणा)	उद्देश्य/Learning Outcome	Activity/Resource (गतिविधि/संसाधन)
—स्थिति एवं विस्तार	• विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति • भारत का भौगोलिक विस्तार • भारत के पड़ोसी देश	• विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति, उसका विस्तार एवं पड़ोसी देशों की जानकारी देना।	• मानचित्र • पड़ोसी देशों से संबंधित समसामयिक घटनाक्रमों/ गतिविधियों का संकलन एवं रिकार्ड
—भौतिक स्वरूप	• उच्चावच, संरचना • भौतिक विभाग	• स्थलाकृतियों एवं उनके स्वरूप की समझ उत्पन्न करना।	• भारत का प्राकृतिक मानचित्र • भ्रमण, अवलोकन।
—अपवाह	• अपवाह तंत्र • नदियाँ, जलाशय • मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ • नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाए • मानव जीवन पर प्रभाव	• नदियों के दिशागत बहाव की समझ एवं मानव जीवन में नदियों की उपयोगिता उनके संरक्षण, उचित दोहन प्रदूषण के स्रोत की समझ विकसित करना।	• अवलोकन, चित्र, मॉडल, धार्मिक पर्व त्योहारों में नदी की उपयोगिता, समाचार पत्र, पत्रिकाओं की कतरनों का संकलन

इकाई	Key Concept (मूल अवधारणा)	उद्देश्य/Learning Outcome	Activity/Resource (गतिविधि/संसाधन)
—जलवायु	• भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक • मौनसून एवं उसका स्वभाव • वर्षा—प्रकार, वर्षा जल संग्रहण एवं पुनर्चक्रण • ऋतुएँ • मानव जीवन पर इनका समेकित प्रभाव	• भारतीय जन जीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्त्वों की समझ एवं उनसे समन्वय विकसित करने की अवधारणा।	• अवलोकन, अनुभवों का आदान-प्रदान, विभिन्न क्षत्रों में रहनेवाले परिचितों से पत्राचार
—प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी	• वनस्पतियों के प्रकार, महत्त्व, वितरण • वनों में निवास करने वाले जीव-जंतुओं की उपयोगिता, महत्त्व। • वनस्पति एवं जीवजंतुओं का संरक्षण।	• वनस्पतियों, जीवजंतुओं की विविधताओं एवं महत्व से परिचित, होना तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना।	• चित्रों का संकलन, अनुभव, साक्षात्कार, भ्रमण, वृतचित्र • मानचित्र बनाकर विभिन्न प्रकार के वनस्पति क्षेत्र को दर्शाना। • विलुप्त होती वनस्पति एवं वन्य प्राणियों से संबंधित चित्र एवं सूचनाओं का संकलन कर उसके संरक्षण का प्रयास • परिवेश में मिलनेवाले वनस्पति एवं जीवों से संबंधित सूचनाएँ एकत्र करना
—जनसंख्या, जनसंख्या का आकार	• घनत्व, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक—प्रवजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें, व्यावसायिक संरचना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। • जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव।	• जनसंख्या को प्रभावित करनेवाले तत्त्वों की पहचान एवं उसके दुष्प्रभाव के प्रति सजग बनाना।	• क्षेत्र विशेष का भ्रमण जहाँ अधिक आवादी हो। • मानचित्र बनाकर जनसंख्या के घनत्व और वितरण को दर्शाना। • रोजगार कार्यालय से निबंधित व्यक्तियों की संख्या का पता करना तथा नियुक्ति के अवसरों से उसकी तुलना।

इकाई	Key Concept (मूल अवधारणा)	उद्देश्य/Learning Outcome	Activity/Resource (गतिविधि/संसाधन)
2. यूरोप महाद्वीप	• संक्षिप्त परिचय • स्थिति एवं विस्तार • जलवायु विशेषताएँ • उद्योग धंधे एवं खनिज • उद्योग धंधों का विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	• यूरोप की भौगोलिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक पहलुओं से अवगत कराना।	• मानचित्र, ग्लोब, एटलस चित्र
3. मानचित्र अध्ययन	• मापक—परिभाषा • उपयोगिता • मापक प्रदर्शन की विधियाँ • सरल तथा तुलनात्मक मापक	• मानचित्र अध्ययन की विभिन्न विधियों से अवगत कराना।	• स्केल, मानचित्र, मापक के प्रकार।
4. क्षेत्रीय अध्ययन	• भूमिगत जलस्तर में गिरावटः कारण एवं उपाय • भूमिः उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन • प्रदूषणः प्रकार, कारण, बचाव	• क्षेत्रीय अध्ययन के प्रति जागरूकता पैदा करना	• प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण, निवासियों से साक्षात्कार

प्रोजेक्ट :—

- विलुप्त होने वाले वन्यप्राणियों/वनस्पतियों को चित्र, छाया चित्र द्वारा रिपोर्ट तैयार करें।
- अपने किसी गाँव/मुहल्ले का अवलोकन करने के पश्चात् वहाँ के जल स्तर की गिरावत, भूमि उपयोग और प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करें।

चार्ट पेपर पर चित्र द्वारा जनसंख्या के कुप्रभावों को दर्शाएँ।

इकाई—III लोकतांत्रिक राजनीति–1

क्र.	प्रकरण (थीम)	उप प्रकरण (सब थीम)	उद्देश्य
1.	लोकतंत्र का क्रमिक विस्तार	भारत में लिच्छवी गणतंत्र से आधुनिक लोकतंत्र की यात्रा • लिच्छवी गणतंत्र • विश्व में आधुनिक लोकतंत्र • 1900 से 1950, 1950–1977 1977 से अद्यतन	विद्यार्थियों को लोकतंत्र की पहचान कराना और उसके विस्तार का एक खाका पेश करना।

क्र.	प्रकरण (थीम)	उप प्रकरण (सब थीम)	उद्देश्य
2.	लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों?	लोकतंत्र क्या है? • लोकतंत्र की विशेषताएँ लोकतंत्र क्यों? • लोकतंत्र के गुणों की चर्चा • लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क • सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र • लोकतंत्र का व्यापक अर्थ	• लोकतंत्र को परिभाषित करने हेतु अवधारणात्मक कौशल को विकसित करना • किन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा लोकतंत्र विकसित हुआ और कैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी? • लोकतंत्र के विरूद्ध भ्रांतियों को समाप्त करना।
3.	भारत में लोकतंत्र का निर्माण	• भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? • भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जरूरत क्यों? • भातीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया • संविधान की मूलभूत विशेषताएँ • क्या भारत में प्रजातंत्र-निर्माण की प्रक्रिया जारी है? • **बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं?**	• भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की समझ विकसित करना • संविधान निर्माण की प्रक्रिया से परिचय • संविधान एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान भाव विकसित करना • संविधान एक जीवंत दस्तावेज और परिवर्तनीय भी है।
4.	लोकतंत्र में चुनावी राजनीति	• लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों? • जनप्रतिनिधियों का चुनाव क्यों? • चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का औचित्य • भारत में चुनाव प्रणाली : (क) निर्वाचन क्षेत्र (आरक्षित/अनारक्षित) (ख) मतदाता सूची (ग) चुनाव अभियान (घ) मतदान और मतगणना भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? (क) स्वतंत्र चुनाव आयोग (ख) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ	• प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र बनाम प्रतिस्पर्द्धी दलीय राजनीति के विश्लेषण को समझना। • भारतीय चुनाव प्रणाली से सुपरिचित चुनाव प्रणाली से सुपरिचित होना और इसे स्वीकार करने के आधार से परिचय • चुनावी राजनीति में जनता के बढ़ता रूझान से परिचय • चुनाव आयोग की अहमियत से परिचित कराना।

क्र.	प्रकरण (थीम)	उप प्रकरण (सब थीम)	उद्देश्य
5.	संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ	संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करनेवाली संस्थाएँ (क) संसद (विधायिका) (ख) राष्ट्रपति / प्रधानमंत्री / मंत्रिपरिषद् (कार्यपालिका) • तीनों संस्थाओं के अंतर्संबंध	• केन्द्र सरकार की संरचना से परिचित कराना • संसद की अहम् भूमिका से अवगत कराना • संसदीय कार्यप्रणाली से परिचय कराना • तीनों संस्थाओं के अंतर्संबंधों से अवगत कराना
6.	लोकतांत्रिक अधिकार	• संविधान में अधिकारों की अनिवार्यता क्यों? • अधिकार क्या है? लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? • मौलिक अधिकार • अधिकारों का बढ़ता दायरा • मानवाधिकार	• अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना • मौलिक अधिकारों से परिचित कराना • मौलिक अधिकारों का उपभोग और वास्तविक जीवन में अधिकारों के हनन की संभावनाओं से अवगत कराना • मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका बताना • राष्ट्रीय मानवाधिकार की भूमिका से अवगत कराना

इकाई—IV अर्थशास्त्र की समझ

इकाई	पाठ्यक्रम	उद्देश्य	क्रियाशीलन
1. बिहार के एक गांव की कहानी	गांव की कहानी के माध्यम से • गांव-कस्बा-शहर-राज्य-देश-विश्व सबके बीच उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा आपस के संबंध को जानना। • उत्पादन के साधनों—भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के बारे में जानकारी का विकास करना	• मूर्त उदाहरण के द्वारा उत्पादन के सिद्धांत को जानना • भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम हरेक की उत्पादन की प्रक्रिया में महत्ता को समझना • उत्पादन कैसे गांव को विश्व से जोड़ता है।	• शिक्षार्थियों को अपने गांव में हो रहे उत्पादन की प्रक्रिया को कहानी के माध्यम से लिखवाना। • द्वीपक्षीय संवाद के माध्यम से बच्चों में समझ का विकास करना।

इकाई	पाठ्यक्रम	उद्देश्य	क्रियाशीलन
II. मानव—एक संसाधन	मानव एक संसाधन है—इसकी समझ। • बिहार की जनसंख्या और उसके अवयवों को जानना • जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मकान की उपयोगिता को जानना	• मानव संसाधन के विकास हेतु जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान के अन्योनाश्रय संबंधों की जानकारी का विकास करना • मानव संसाधन के विकास में अपनी भूमिका को समझना	• टीचिंग लर्निंग मैटेरियल का विकास (जैसे चार्ट) • शिक्षार्थियों द्वारा अपने टोले/मुहल्ले का सर्वेक्षण कर उसके रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
III. गरीबी	गरीबी की समझ और स्वरूप। सूचकांकों द्वारा गरीबी की माप। संवाद लेखन के द्वारा बिहार में गरीबी के आयाम, गरीबी के कारण एवं निदान को जानना, गरीबी रेखा क्या है, गरीबी उन्मूलन के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास	• गरीब एवं गरीबी को समझना • गरीबी उन्मूलन में सरकारी प्रयासों की जानकारी प्राप्त करना • स्थानीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के परिणाम को समझना	• परिवेश से उदाहरण • द्विपक्षीय प्रश्नोत्तरी विधि • बच्चों को उपाय ढूंढने के लिए स्वलेखन
IV. बेकारी	लेख के माध्यम से— • बेकारी को जानना, • बेकारी कैसे जन्म लेती है। • बेकारी से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? • बेकारी के समाजिक और आर्थिक प्रभाव।	• बेकारी क्या है • जनसंख्या की बेकारी बढ़ाने में भूमिका • बेकारी कम करने के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास की स्थानीय स्तर पर परिणाम को समझना	• व्याख्यान विधि • अपने टोले-मुहल्ले के युवाओं से बातचीत • वर्ग में बातचीत का प्रस्तुतीकरण।
V. कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता	• बिहार में कृषि • खाद्यान्न के प्रकार • खाद्यान्न के श्रोत • खाद्यान्न की गुणवत्ता • अकाल के दौरान खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता • खाद्य सुरक्षा में सरकारी एवं गैर सरकारी योगदान।	• शिक्षार्थियों के बीच खाद्यान्न के प्रति जीवन के मूल्य एवं आवश्यकता की जानकारी विकसित करना। • खाद्यान्न की आपूर्ति में सरकारी पहल की समझ विकसित करना। • खाद्यान्न की गुणवत्ता का ज्ञान होना।	• भ्रमण क्रिया के द्वारा • सतत अभ्यास रीति • द्विपक्षीय प्रश्नोत्तरी विधि

इकाई	पाठ्यक्रम	उद्देश्य	क्रियाशीलन
VI. कृषक-मजदूरों की समस्याएँ	• बिहार में कृषक-मजदूरों की समस्याएँ, • बिहार में कृषक-मजदूरों के बीच समस्याओं के समाधान के तौर पर पलायन का इस्तेमाल • बिहार में कृषक-मजदूरों के हो रहे पलायन की वजह से समस्याएँ और उनके निदान के उपाय।	• आज हमारे यहाँ के बहुत से कृषि-मजदूर दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, मुंबई आदि की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं इसकी विस्तृत व्याख्या करना और उसके कारणों की समझ विकसित करना।	• भिखारी ठाकुर एवं अन्य लोक गीतकारों के लोकगीतों के माध्यम से पलायन के उद्देश्य एवं उसके आर्थिक पहलुओं के प्रति शिक्षार्थियों के बीच समझ विकसित करना।

इकाई—V आपदा प्रबन्धन

1. मानवीय मूलों के कारण घटित आपदाएँ—आणविक (Nuclear)
   जैव (Biological)
   रासायनिक (Chemical)
2. सामान्य आपदाएँ (Common Hazards)—निवारण एवं नियंत्रण
3. समुदाय आधारित आपदा प्रन्धन

वर्ग X

समय—3 घंटे	अंक—100
इकाई—1 भारत एवं समकालीन विश्व—II	25
इकाई—2 भारत संसाधन एवं उनका दोहन	25
इकाई—3 प्रजातांत्रिक राजनीति—II	22
इकाई—4 अर्थशास्त्र की समझ	22
इकाई—5 आपदा प्रबन्धन	6

इकाई—I भारत एवं समकालीन विश्व–II

इकाई	विषय-वस्तु	लक्ष्य/उद्देश्य	प्रक्रिया/संसाधन
1. यूरोप में राष्ट्रवाद	• 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास • मेजनी आदि के विचार • पोलैण्ड, हंगरी, इटली जर्मन, ग्रीस आदि के आन्दोलनों की सामान्य विशेषताएँ	• यूरोप में उभरते राष्ट्रीयता की भावना से परिचित कराना • इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्डी, कावूर का योगदान बताना • जर्मनी के एकीकरण में विलिएम, बिस्मार्क, बुद्धिजीवियों एवं शिक्षा संस्थानों का योगदान बताना • ग्रीस, पौलैण्ड, हंगरी में तत्कालीन अवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव से उभरे विद्रोहों से परिचित कराना	• फिल्में, चित्र, विडियोक्लिप, मानचित्र अध्ययन
2. हिन्द-चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन	• हिन्द-चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद • फ्रांसीसियों के विरूद्ध क्रमिक संघर्ष • फान-दिन, फांग-फांग बोइ चाउ, नागु एन एस क्यू • द्वितीय विश्वयुद्ध और मुक्ति संघर्ष • अमेरिका और द्वितीय विश्वयुद्ध	• उपनिवेशवाद का शिकार एशियाई देशों में हिन्द चीन (इंडोनेशिया) की तत्कालीन परिस्थितियों से अवगत कराना • इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादी नेताओं के स्वतंत्रता हेतु किए गए प्रयासों से अवगत कराना • इण्डोनेशिया का फ्रांस के विरूद्ध मुक्ति संघर्ष • द्वितीय विश्वयुद्ध में उन परिस्थितियों की समझ जिनसे अमेरिका विश्वयुद्ध में शामिल हुआ	• चित्र, फिल्म, एशियाई भूगोल का मानचित्र

इकाई	विषय-वस्तु	लक्ष्य/उद्देश्य	प्रक्रिया/संसाधन
3. भारत में राष्ट्रवाद सविनय अवज्ञा आंदोलन	• प्रथम विश्वयुद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अन्तर्सम्बंध • खिलाफल आंदोलन • असहयोग आंदोलन • नमक सत्याग्रह पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम • किसान, मजदूर और जन-जातियों का विद्रोह • विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियाँ	• प्रथम विश्वयुद्ध का संक्षिप्त परिचय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ना • बिटिश हुकूमत के वादा खिलाफी को समझाना, राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना • सत्याग्रह से परिचित कराना एवं उसके दूरगामी लक्ष्य से अवगत कराना • शोषक की नितियों के खिलाफ सत्याग्रह में लोकभागदारी को बढ़ाने एवं उसकी पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम की समझ पैदा करना • सविनय अवज्ञा आंदोलन के भारतीय एवं ब्रिटिश सत्ता पर प्रभाव से अवगत कराना • अँग्रेजी नीतियों के विरोध में देश के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में उठनेवाले विद्रोहों का स्वरूप बताना • तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों यथा कांग्रेस, साम्यवादी, मुस्लिम लीग, स्वराज्य पार्टी, आर० एस० एस० के गतिविधियों/क्रियाकलापों से अवगत कराना।	• फिल्में, विडियोक्लिप, चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों से साक्षात्कार • संग्रहालय भ्रमण, मानचित्र अध्ययन • स्वतंत्रता सेनानियों से साक्षात्कार • नाटक प्रदर्शन, मुखौटे • नाट्य रूपान्तरण

इकाई	विषय-वस्तु	लक्ष्य/उद्देश्य	प्रक्रिया/संसाधन
4. अर्थव्यवस्था और आजीविका	• औद्योगीकरण (1850–1950) ब्रिटेन और भारत में औद्योगीकरण • औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योगों के बीच सम्बंध • मजदूरों की आजीविका (ब्रिटेन और भारत) • संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर	• औद्योगीकरण के कारणों की समझ, उपनिवेशवादी व्यवस्था से उपजे शोषक और शोषित देशों की अर्थव्यवस्था से अवगत कराना, कुटीर उद्योगों की उपयोगिता एवं उनके प्रति सौन्दर्यबोध, आधुनिक समाज में आए परिवर्तन, मशीनी युग से मजदूरों की स्थिति, कुटी उद्योग से अर्थव्यवस्था का संबंध • मजदूरों के जीवनस्तर के प्रति समझ और मानवीय दृष्टिकोण का विकास	• विडियोक्लिप, चित्र, फिल्में • कुटी उद्योगों के क्षेत्र का भ्रमण • असंगठित क्षे में लगे मजदूरों के जोखिम और संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के जोखिम में अंतर दिखना कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के जीवनस्तर का अध्ययन
5. शहरीकरण एवं शहरी जीवन	**शहरीकरण एवं शहरी जीवन** • शहरीकरण की पद्धति • प्रवजन और शहरीकरण • शहरों का विकास सामाजिक बदलाव और शहरीजीवन • व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और शहरीकरण	• शहरीकरण की पृष्ठभूमि एवं उससे उत्पन्न स्थितियाँ की समझ बनाना, उसका प्रभाव समझाना • शहरीकरण के संदर्भ में नगरों एवं छोटे शहरों के बीच के अंतर को समझाना	अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं में दिए गए सूचनाओं का संग्रह
6. व्यापार और भूमंडलीकरण	**व्यापार और भूमंडलीकरण** • 19 वीं तथा प्रारंभिक 20 वीं सदी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण • दो महायुद्धों के दरम्यान व्यापार और अर्थव्यवस्था • 1950 के दशक के बाद परिवर्तन	• विश्व बाजार के स्वरूप की समझ और उसकी उपयोगिता, लाभ और हानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, विश्व बाजार के आलोक में बदलते अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध की समझ पैदा करना	• विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों के logo इकट्ठे करना • Band Name की उत्पाद से पहचान एवं कम्पनियों से सम्बद्धता का संकलन • विभिन्न कम्पनियों के CEO के साक्षात्कार का अवलोकर एवं चित्रों का संग्रहण

इकाई	विषय-वस्तु	लक्ष्य/उद्देश्य	प्रक्रिया/संसाधन
	• आज के जीवकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अन्तरसाम्य अध्ययन क्षेत्र • 1945 से 1960 के दशक के बीच अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध		• घरेलू उपयोग की वस्तुओं का कम्पनियों के साथ सम्बद्धता की पहचान/ अपने परिवेश में उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों का वस्तुओं के साथ वर्गीकरण एवं आँकड़ा संग्रहण
7. प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद	• यूरोप में छपाई का इतिहास • 19 वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास • प्रिन्ट संस्कृति, आम बहस और राजनीतिक सम्बन्ध	• छपाई यंत्रों के आविष्कार एवं क्रमिक विकास का शिक्षा और ज्ञान पर प्रभाव • उसे उत्पन्न राष्ट्रीयता एवं संस्कृति से अवगत कराना • भारतीय समाज पर प्रेस के प्रभाव प्रिन्ट मीडिया द्वारा उभारे जानेवाले मुद्दों एवं उससे जुड़े जनमानस की प्रकृति की समझ पैदा करना	
8. उपन्यास का इतिहास	• उपन्यास और आधुनिक समाज में परिवर्तन के बीच संबंध • भारत में 19 वीं सदी के उपन्यास एक विधा के रूप में उपन्यास का प्रादुर्भाव: पश्चिम के संदर्भ में।	• ऐतिहासिक सन्दर्भों में उपन्यास की समझ, बदलते जीवन शैली को उभारने में उपन्यास का महत्त्व, भारतीय उपन्यासकारों के उपन्यास लेखन की समझ। प्रेमचन्द, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, रामकृक्ष वेनीपुरी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरतचन्द्र आदि की कृतियों से अवगत कराना	• रूसी क्रांति में 'मदर' भारतीय क्रांति में आनन्दमठ, दांते का Divine comedy, नीलदर्पण आदि का संदर्भ
		• पश्चिमी देशों में उपन्यास एक विधा के रूप में अपना स्थान बनाने में सक्षम होने के कारण महत्त्वपूर्ण उपन्यासकारों यथा शेक्सपियर, गोर्की, की रचनाओं के सामयिक जुड़ाव को समझना	
9. इतिहास पुरुष	• राहुल सांकृत्यायन		• चित्र एवं कृतित्व के चार्ट

इकाई—II भारत-संसाधन एवं उपयोग

इकाई	Key Concept (मूल अवधारणा)	उद्देश्य/Learning Outcome	Activity/Resource (गतिविधि/संसाधन)
1. भारत : संसाधन एवं उनका विकास			
संसाधन	• संसाधन का महत्व, प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण • प्राकृतिक संसाधन—भूमि संसाधन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, भूक्षरण एवं भूसंरक्षण	• संसाधन के विभिन्न स्रोत एवं उसकी उपयोगिता से अवगत कराना • संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना।	• चित्र, अवलोकन • यह पता करना कि आज जहाँ भवन बने हैं तीस-चालीस वर्ष पहले वहाँ क्या था एवं उस भूमि का उपयोग किस रूप में होता था। • साक्षात्कार (बड़े-बुजुर्गों से)
—कृषि संसाधन	• महत्त्व, कृषि के प्रकार, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएँ, प्रमुख फसलें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, रोजगार, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं कृषि पर इसका प्रभाव पशुपालन एवं मत्स्य पालन।	• देश के विभिन्न भागों में खेती में प्रयुक्त विभिन्न तरीकों एवं विभिन्नताओं की जानकारी देना तथा बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना।	• अवलोकन, कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांङ्गण का अवलोकन एवं साक्षात्कार
—जल संसाधन	• जल के स्रोत, वितरण, जलसंसाधन का उपयोग, बहुद्देशीय परियोजनाएँ, जल संकट, जल संरक्षण एवं प्रबन्धन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण • सोन परियोजना का अध्ययन	• जल स्रोतों की उपलब्धता एवं उनसे संबंधित परियोजनाएँ, रोजगार एवं प्रबन्ध की समझ विकसित करना • प्रतिव्यक्ति घटते जल की मात्रा के प्रति जागरूकता पैदा करना	• चित्र, वृतचित्र, फिल्म, शैक्षिक भ्रमण, प्रदेश में स्थित कोसी, वाल्मिकी, इन्द्रपुरी आदि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का
—खनिज संसाधन	• खनिज के प्रकार, वितरण, खनिजों का आर्थिक महत्व, एवं खनिजों का संरक्षण	• खनिजों की महत्ता उपलब्धता एवं संरक्षण की महत्ता से अवगत कराना।	• पड़ोसी प्रांत के खनिज बहुल क्षेत्रों भ्रमण, खनिजों का अवलोकन।

इकाई	Key Concept (मूल अवधारणा)	उद्देश्य/Learning Outcome	Activity/Resource (गतिविधि/संसाधन)
—वन एवं वन्यप्राणी संसाधन	• प्रकार, वितरण, वन सम्पदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण।	• वनों एवं वन्य प्राणियों के महत्त्व से अवगत कराना तथा इनके विलुप्त होने के दुष्प्रभाव एवं संरक्षण के संबंध में जागरण।	• अभ्यरणों एवं उपवनों का भ्रमण कराना।
—शक्ति संसाधन	• शक्ति संसाधन के प्रकार, परम्परागत एवं गैर परम्परागत शक्ति के साधन, वितरण, उपयोग तथा संरक्षण	• शक्ति संसाधनों की आवश्यकता से अवगत कराना। • नये संसाधनों के लिए खोजी प्रवृत्ति का विकास	• परम्परागत एवं गैर परम्परागत शक्ति के साधनों का अवलोकन • मानचित्र में शक्ति के साधन के केन्द्रों को दर्शाना
2. निर्माण उद्योग	• उद्योगों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान • बिहार की कोई एक औद्योगिक इकाई का अध्ययन • उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव • प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय	• राष्ट्रनिर्माण में उद्योग की भूमिका से अवगत कराना तथा औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप होनेवाले प्रदूषण के प्रति सचेत करना।	• मानचित्र, चित्र, पंचवर्षीय योजनाओं से संदर्भ।
3. परिवहन, संचार और व्यापार	• परिवहन के प्रकार एवं महत्त्व • संचार के माध्यम एवं उसका महत्त्व • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रभाव • जनजीवन पर प्रभाव	• व्यापारिक प्रगति में परिवहन एवं संचार के साधनों की भूमिका से अवगत कराना • जनजीवन पर पड़नेवाले प्रभावों एवं उनकी उपयोगिता के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।	• विभिन्न मॉडल निर्माण, अवलोकन, उपयोग
4. उत्तरी अमेरिका : संक्षिप्त अध्ययन	• स्थिति एवं विस्तार, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, खनिज, कृषि तथा उद्योग	• अंतर्राष्ट्रीयता के ज्ञान को संवर्धित करने एवं उनसे प्रेरणा लेना।	• मानचित्र, मॉडल, चित्र, दूरदर्शन पर प्रसारित एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित विशेष रपटों को सुनना, पढ़ना।

इकाई	Key Concept (मूल अवधारणा)	उद्देश्य/Learning Outcome	Activity/Resource (गतिविधि/संसाधन)
5. मानचित्र अध्ययन	• उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ • समोच्च रेखाओं पर विभिन्न भू-आकृतियों का प्रदर्शन— पर्वत, पठार, जलप्रपात एवं V आकार की घाटी।	• उच्चावच को समतल कागज पर कैसे प्रदर्शित करें, की समझ पैदा करना।	• समोच्च रेखाओं का ग्राफ, चित्र

प्रोजेक्ट :—

- विभिन्न प्रकार के फसलों, उद्योगों, जल प्रयोजनाओं, वन संसाधन पर फोटोग्राफों, मानचित्रों, प्रकाशित छायाचित्रों के साथ प्रोजेक्ट तैयार करना।
- आस-पास के जल प्रदूषण पर चित्र बनाएँ।

इकाई—III लोकतांत्रिक राजनीति–II

क्र.	प्रकरण (थीम)	उप प्रकरण (सब थीम)	उद्देश्य
1.	लोकतंत्र का व्यावहारिक स्वरूप	• क्या लोकतंत्र में विभेद के तत्व अन्तर्निहित है? • जातियों का हमारी लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव • क्या राजनीति जातियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है? • लिंग भेद एवं साम्प्रदायिक विभेदों से लोकतंत्र किस हद तक प्रभावित होता है?	• भारतीय संदर्भ में सामाजिक विषमता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को विश्लेषित करना • जातीय एवं साम्प्रदायिक चुनौतियों से भारतीय लोकतंत्र किस दृह तक प्रभावित होता है, इसकी समझ विकसित करना। • लिंग का परिप्रेक्ष्य किस रूप में भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, इसकी समझ विकसित करना।
2.	सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली	• लोकतंत्र में सत्ता विभाजन के उपबंध • संघात्मक शासन व्यवस्था • राष्ट्रीय एकता में संघात्मक व्यवस्था कैसे सहायक है? • किस हद तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में अपरिहार्य है? • लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करता है? • **बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक**	• विद्यार्थियों की संघीय व्यवस्था की जानकारी देना • सत्ता के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा से सुपरिचित कराना। • संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता की आत्मा को संवर्धित करना।

क्र.	प्रकरण (थीम)	उप प्रकरण (सब थीम)	उद्देश्य
3.	प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष	• प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष के अर्थ: • स्वतंत्र भारत में आम जन के पक्ष में संघर्ष (1974 का संघर्ष) • नेपाल का संघर्ष • राजनीतिक दल क्या है? • भारत के प्रमुख राजनीतिक दल (राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय) • राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्द्धा का लोकतंत्र के सशक्तीकरण एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान।	• लोकतंत्र के विस्तार में आम जन के संघर्ष एवं राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्द्धा की समझ को विकसित करना। • भारत में दलीय व्यवस्था से सुपरिचित कराना।
4.	लोकतंत्र की उपलब्धियाँ	• क्या भारतीय लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? • भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में लोकतंत्र का योगदान	• भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों एवं कठिनाइयों के संदर्भ से परिचित होते हुए बच्चों में समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व एवं व्यक्ति की गरिमा के प्रति आलोचनात्मक कौशल विकसित करना।
		• भारत में लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति • राष्ट्रीय उद्देश्यों यथा समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की प्राप्ति • भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है? • भारत में लोकतंत्र की सफलता के कारक तत्त्व	•
5.	लोकतंत्र की चुनौतियाँ	• क्या लोकतंत्र की अवधारणाएँ हमारे सिद्धांत एवं व्यवहार में सामंजस्य स्थापित कर पा रही है? • लोकतंत्र से जनता की अपेक्षाएँ • क्या भारतीय लोकतंत्र जनता की उन्नति, सुरक्षा और गरिमा के संवर्धन में सहायक है?	• लोकतंत्र के प्रभावकारी तत्त्वों और उनमें अन्तर्निहित कमियों को रेखांकित करते हुए बच्चों में लोकतंत्र को सबल बनाने हेतु सृजनात्मक दृष्टि प्रदान करना। • जनता की सक्रिय भागीदारी हेतु कल्पनाशीलता को विकसित करना।

इकाई--IV अर्थशास्त्र की समझ

इकाई	पाठ्यक्रम	उद्देश्य	क्रियाशीलन
I. विकास का इतिहास	• विकास की समझ • विकास का माप एवं विविध सूचकांक • बिहार के विकास की स्थिति • देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका • स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के बीच संबंध	• शिक्षार्थियों को विकास के इतिहास से परिचय कराना • शिक्षार्थियों के अंदर राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक करना • राज्य एवं देश के विकास में स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध की समझ विकसित करना	• शिक्षार्थियों को अपने गांव के विकास की प्रक्रिया को कहानी के माध्यम से लिखवाना। • द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से बच्चों में समझ विकास करना
II. राज्य एवं राष्ट्र की आय	लेख के माध्यम से • बिहार की आय • राष्ट्रीय आय • प्रतिव्यक्ति आय और • विकास में राजकीय/ राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान	• शिक्षार्थियों के अंदर राजकीय आय, राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय की समझ विकसित • विकास में शिक्षार्थियों के परिवार के आय का महत्ता की समझ विकसित करना	• टीचिंग लर्निंग मैटेरियल का उपयोग (जैसे ग्राफ) • शिक्षार्थियों द्वारा अपने टोले/मुहल्ले का सर्वेक्षण कर उसके रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
III. मुद्रा, बचत एवं साख	• मुद्रा का इतिहास • मुद्रा है क्या? • मुद्रा का आर्थिक महत्त्व • बचत एवं साख क्या है?	• शिक्षार्थियों के अंदर मुद्रा के उपयोग की समझ, बचत एवं साख की विकास में भूमिका की समझ उत्पन्न करना। • मौद्रिक सिद्धांतों का आभास कराना।	• परिवेश से उदाहरण • द्विपक्षीय प्रश्नोत्तरी विधि • बच्चों को उपाये ढूंढने के लिए स्वलेखन

इकाई	पाठ्यक्रम	उद्देश्य	क्रियाशीलन
IV. हमारी वित्तीय संस्थाएँ	• हमारे राज्य की वित्तीय संस्थाएँ, • हमारे देश की वित्तीय संस्थाएँ, • राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में इन संस्थाओं की भूमिकाएँ • व्यवसायिक बैंक और इनकी राज्य के विकास में भूमिका • सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका • स्वयं सहायता समूह और गाँव, कस्बा और जिला के विकास में भूमिका	• प्रत्येक स्तर की वित्तीय संस्थाओं के बारे में समझ विकसित करना • गरीबी एवं बेकारी उन्मूलन में इनकी भूमिका को समझना • वित्तीय प्रणाली को समझाना	• व्याख्यान विधि • अपने टोले-मुहल्ले की महिलाओं से बातचीत • वर्ग में बातचीत का प्रस्तुतीकरण।
V. रोजगार और सेवाएँ	• भारतीय एवं बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्त्व-रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका। • भारत-विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। • सेवा क्षेत्र के विस्तार एवं विकास के लिए बुनियादी सुविधा एवं शिक्षा की भूमिका।	• शिक्षार्थियों के अन्दर रोजगार सृजन की प्रक्रिया की समझ पैदा करना • रोजगार के सृजन में सेवा क्षेत्र की भूमिका की जानकारी देना • सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विनियोग क्यों किया जा रहा है—इसकी समझ स्थापित करना	• प्रश्नोत्तरी एवं व्याख्यान विधि द्वारा • द्विपक्षीय प्रश्नोत्तरी विधि
VI. वैश्वीकरण	• वैश्वीकरण क्या है? • भारत में वैश्वीकरण क्यों? • 1991 से पहले वैश्वीकरण का इतिहास, • राज्य नियंत्रित उद्योग • 1991 का आर्थिक सुधार • वैश्वीकरण एवं आम आदमी	• छात्रों को यह समझाना कि वैश्वीकरण उन्हें किस तरह प्रभावित कर रहा है।	• प्रश्नोत्तरी एवं व्याख्यान विधि द्वारा • उदाहरण रीति

इकाई	पाठ्यक्रम	उद्देश्य	क्रियाशीलन
VII. उपभोक्ता जागरण	• उपभोक्ता जागरण • उपभोक्ता शोषण के कारण • उपभोक्ता संरक्षण एवं इसमें सरकार की भूमिका • आर्थिक शोषण के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग का महत्त्व	• उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों की जानकारी साथ ही शोषण से रक्षा के लिए वैधानिक उपायों की जानकारी	• मिडिया का उदाहरण देकर कुछ संबंधित प्रश्न पूछकर • व्याख्यान विधि द्वारा • वृतचित्र

इकाई—V आपदा प्रबंधन

1. सुनामी
2. सुरक्षित निर्माण
3. जीवन रक्षक कौशल
4. आपदा काल में वैकल्पिक संचार-व्यवस्था (Communication system)
5. आपदा और सहअस्तित्व।

शिक्षण विधि

समाज विज्ञान शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि के अतिरिक्त वाद-विवाद पद्धति, प्रायोजना कार्य, स्थल-भ्रमण, मानचित्र का संग्रह एवं विश्लेषण, ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह आदि उपयोगी विधि है। परन्तु वाद-विवाद पद्धति इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी।

इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की पद्धति भी ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है। साथ में चार्ट, नक्शा, अखबार की कतरन आदि भी प्रभावी शिक्षण में मददगार होंगे।

शिक्षण में प्रोजेक्टर, दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का उपयोग ज्यादा फलदायी होगा।

अधिगम प्रतिफल

समाजविज्ञान के माध्यमिक स्तर के शिक्षण के उपरान्त छात्र ज्ञान, समझ, सूचनाएँ और कौशल से संपन्न होंगे जिससे समाज के विकास की प्रक्रिया समझने, वर्तमान-स्वरूप का चित्रण करने और यथार्थ व गुण-दोष का विवेचन करने में वे सक्षम होंगे। उन्हें अपनी ऐतिहासिक विरासत, वर्तमान की भू-पर्यावरणीय समस्याएँ सत्ता के स्वरूप और आर्थिक अन्तः क्रियाओं की पूर्ण जानकारी होगी और उनके व्यक्तित्व का विस्तार होगा। समाज में फैली बुराइयों के विरुद्ध जनमत बनेगा, ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण होगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों की जड़ें मजबूत होगी; साथ ही, आर्थिक गतिविधियाँ का विस्तार होगा। समाज में समरसता, सहयोग एवं संवाद बढ़ेगा तथा उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त होगा। नागरिक के रूप में समाज निर्माण में वे सक्रिय भागीदारी करेंगे और वास्तविक समस्याओं से अपने को जुड़ा महसूस कर मिलजुल कर पहल करेंगे। इस तरह हम जिम्मेदार, जबावदेह एवं आदर्श नागरिक बना पाएँगे।

मूल्यांकन की अवधारणा

- अवधारणा के आधार पर विकास की जाँच मूल्यांकन है।
- सीखने की प्रक्रिया में इसका उद्देश्य उत्तीर्ण करना नहीं होकर उन बिंदुओं की पहचान करना है, जहाँ प्रक्रिया, रवैये एवं प्राथमिकताओं में बदलाव या फिर से जोर (पुनर्बलन) देना आवश्यक हो।
- इस प्रकार, प्रत्येक मूल्यांकन के बाद उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। इसके तीन स्तर हैं—
  (i) कक्षा
  (ii) समूह (आवश्यकता आधारित)
  एवं (iii) व्यक्ति
- सतत व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षा साथ-साथ चलनेवाली प्रक्रिया है। अन्य परीक्षाओं (सावधिक) के साथ भी उपचारात्मक शिक्षण को जोड़ना होगा। इसका एक तरीका अगली कुछ कक्षाओं का इसी प्रयोजन से उपयोग करना हो सकता है। फिर भी, व्यक्ति और खास समूह के लिए अलग-से व्यवस्था करनी होगी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता ही मूल्यांकन को सही अर्थ दे सकती है।
- मूल्यांकन में ज्ञान की जाँच से कम महत्त्व अभिरुचि, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, किसी विशेष विषय के प्रति रुझान और भाषा के स्तर पर समझ में आने लायक बनावट की ठीक-ठीक पहचान का नहीं है। यदि इस आधार पर सीखनेवालों का समूह बनाया जाय—उनका वर्गीकरण किया जाय तो विकास को एक दिशा दी जा सकती है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाना चाहिए।
- सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन की जो भूमिका है, समाज की दृष्टि में इससे बिलकुल अलग रूप और भूमिका के प्रति आग्रह हो सकता है। नौकरियों में चयन का आधार जब परीक्षाओं/स्पर्द्धाओं के प्राप्तांक हों, तो वर्तमान परीक्षा-प्रणाली को एकदम से नकारा नहीं जा सकता।
- मूल्यांकन की ऐसी पद्धति विचार का विषय बनी हुई है, जिससे छात्रों को तनाव या त्रास का अनुभव न हो, जो न्याय करनेवाली और पारदर्शी हो। चूँकि किसी मूल्यांकन-पद्धति का एक पक्ष शिक्षक भी है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा न हो कि तनाव और त्रास छात्र से हटकर शिक्षक पर प्रभावकारी हो जायँ।
- सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति को इस ढंग से विश्लेषित और लागू करने की जरुरत है कि उसकी गुणवत्ता का पूरा लाभ मिल सके। इस मूल्यांकन में चाहे 20% अंक ही देना हो, प्रभाव की दृष्टि से इसमें परखने और नतीजे निकालने का महत्व छात्र की पूरी विकास-प्रक्रिया में उल्लेखनीय और निर्णायक है। इसलिए इसकी कार्यविधि इतनी सरल होनी चाहिए जो शिक्षक के लिए सहज स्वीकार्य हो।
- अंक और ग्रेड में मूल्यांकन की उपयोगिता का विचार करते समय बहुधा शिक्षक की बात—उसकी अभिरुचि और निष्पक्षता की बात भी होती है। उन्मुखीकरण-आयोजनों/प्रशिक्षण-कार्यक्रमों/संकुल- प्रशिक्षण के क्रम में शिक्षकों की प्रवृत्ति मूल्यांकन के प्रति अनुकूल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। यह ध्यान रखने की बात है, कि पद्धति कोई हो, उसके लाभ संबंधित पक्षों के सकारात्मक योगदान पर ही निर्भर करते हैं। यदि ज्ञान का

क्षेत्र और स्वरूप 21वीं शती के परिदृष्य के अनुकूल बनाया जा रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया और उसके संचालक/सूत्रधार शिक्षकों का प्रशिक्षण भी उसके अनुसार ही बनाना होगा।

- जहाँ तक ग्रेड और अंक की बात है, ग्रेड देने में सुविधा भी है और निष्पक्ष दिखाई देने की सहूलियत भी। किसी छात्र को 74 और किसी अन्य को 73 अंक देने पर औचित्य समझाने की साँसत भी ग्रेड देने पर नहीं होती। फिर भी, अंक जितना साफ-साफ बोलते हैं, ग्रेड तो वैसा करने से रहे। इसके बावजूद एक शिक्षक की सुविधा के विचार से ग्रेड-पद्धति अपनायी जानी चाहिए। हाँ, कक्षा में स्थान का निश्चय तो अंक से ही संभव है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है—

- स्कूल की आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था में छात्र-विकास के सर्वांगीण पक्षों पर ध्यान।
- मूल्यांकन की निरंतरता और नियतकालिकता।
- निर्देशों के आरंभ में छात्र का मूल्यांकन—स्थापन मूल्यांकन।
- निर्देश-प्रक्रियाओं में परीक्षण की विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए अनौपचारिक मूल्यांकन।
- निर्दिष्ट मानकों का उपयोग और मूल्यांकन के विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए अवधि के अंत में किये गये कार्यों का मूल्यांकन।
- शैक्षिक और सह-शैक्षिक विषयों से सम्बन्धित कार्यों और गतिविधियों का मूल्यांकन।
- शैक्षिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के विषयक क्षेत्र और सह-शैक्षिक क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, अभिरुचि, प्रवृत्ति और नैतिक मूल्यबोध आदि समाहित हैं। इसके अन्तर्गत सौंदर्यबोधात्मक मूल्यबोध भी आ जाते हैं।
- शैक्षिक क्षेत्र की जाँच के दौरान औपचारिक एवं अनौपचारिक तथा नियतकालिक और निरंतर मूल्यांकन आ जाते हैं।
- सह-शैक्षिक क्षेत्रों के अन्तर्गत मूल्यांकन के संकेतित मानकों के आधार पर विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया जाता है।
- शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले बिंदुओं का प्रपत्र इस प्रकार होगा:

(अ) शैक्षिक क्षेत्र

स्तर	कक्षाएँ	प्रक्रियाएँ/तकनीक	साधन	आवर्तन एवं अभिलेखन	प्रतिवेदन
उच्च प्राथमिक	IX–X	—मौखिक —लिखित —प्रायोगिक	—मौखिक प्रश्न —प्रश्न पत्र —प्रदत्त कार्य —कार्य योजना —निदानात्मक जाँच —क्रियाकलाप प्रयोग	—इकाई अनुसार —मासिक —अवधि अनुसार —जाँच के बाद अभिलेखन	पूर्ण श्रेणीकरण

(ब) सह शैक्षिक क्षेत्र

क्रम संख्या	सह पाठ्यक्रम क्रियाकलाप	नैतिक मूल्य एवं प्रवृत्ति समाहित व्यक्तिगत सामाजिक गुण
IX–X	विविध	
	1. प्राथमिक चिकित्सा/योग 2. रेड क्रॉस 3. बालचर कर्म (स्काउटिंग) 4. बागवानी 5. राष्ट्रीय कैडेट कोर 6. राष्ट्रीय सेवा योजना 7. साहसिक क्रियाकलाप 8. अन्य अभिरुचियाँ	

मूल्यांकन की प्रक्रिया

(क) भाषा एवं साहित्य

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भाषा के चारों कौशलों का समेकित विकास करना है। किन्तु निश्चित समय–सीमा निर्धारित कर औपचारिक परीक्षा द्वारा चारों कौशलों एवं उप–कौशलों का मूल्यांकन व्यावहारिक रूप से अत्यंत दुरूह है। अतः वर्ग X की बोर्ड परीक्षा 100 अंकों की लिखित परीक्षा ही होगी। किन्तु वर्ग IX में औपचारिक स्तरांत परीक्षा के साथ–साथ सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। इस वर्ग में मूल्यांकन की इस समेकित प्रक्रिया में इस प्रकार अंक–भार निश्चित किये गये हैं :

क्र0	मूल्यांकन	अंक भार
1.	सतत् मूल्यांकन	**60%**
	• अभिव्यक्ति / वार्त्तालाप कौशल	20%
	• प्रयोजना कार्य	20%
	• औपचारिक जाँच	20%
2.	स्तरांत परीक्षा	**40%**

सतत मूल्यांकन एवं स्तरांत परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करना वांछनीय होगा। सतत मूल्यांकन एवं स्तरांत परीक्षा–दोनों मिलाकर कम से कम 30% अंक प्राप्त करनेवाले शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सकता है।

1. सतत मूल्यांकन :

सतत मूल्यांकन में सर्वाधिक ध्यान 'श्रवण' (सुनने) और 'वाचन' (बोलने) पर दिया जाएगा, क्योंकि विविध व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इनका समावेश अभी औपचारिक जाँच पद्धति में संभव नहीं। किन्तु इन्हें उपेक्षित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षार्थी की अभिव्यक्ति या संप्रेषण की दक्षता का समुचित विकास नहीं हो सकेगा। अतएव 'सुनने' एवं 'बोलने' की दक्षता का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए इसे सतत मूल्यांकन का सर्वप्रमुख अंग बनाने की आवश्यकता है।

सतत मूल्यांकन की दूसरी महत्त्वपूर्ण इकाई प्रयोजना कार्य–सहित अन्य वर्ग कार्य या गृहकार्य होंगे जो शिक्षार्थी के स्वतंत्र एवं रचनात्मक चिन्तन का विकास सुनिश्चित करेंगे।

ध्यातव्य है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया वर्ग एवं विद्यालय की विविध गतिविधियों द्वारा पूरे सत्र में जारी रहेगी। ये गतिविधियाँ औपचारिक भी हो सकती है, किन्तु सुनने एवं बोलने के कौशलों के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि अधिक अंकभार अनौपचारिक गतिविधियों को दिया जाये। सतत मूल्यांकन की सभी इकाइयों के लिए अंकों का विभाजन एवं अंकभार निम्नवत् होंगे :

संवाद–दक्षता, वाद–विवाद, समूह चर्चा इत्यादि	20%
प्रदत्त कार्य	20%
औपचारिक कार्य	20%
कुल :	**60%**

2. संवाद दक्षता (20%)

वार्त्तालाप संबंधी दोनो दक्षताओं अर्थात् श्रवण एवं वाचन का सम्पूर्ण मूल्यांकन अनौपचारिकरूपया औपचारिक रूप से (10 अंक) या दोनों के समेकित रूप में (10 अंक) किया जा सकता है।

अ) **अनौपचारिक मूल्यांकन (20% या 10%)** : पाठ अध्यापन के क्रम में जहाँ–जहाँ शिक्षार्थियों के लिए परिचर्चा, भूमिका निभाने (अभिनय), चर्चा करने या अपना–अपना दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होगी, संबंधित शिक्षक इन गतिविधियों का संचालन करेंगे एवं प्रत्येक शिक्षार्थी की सहभागिता का ध्यान से अवलोकन करेंगे। यह प्रक्रिया पूरे सत्र तक चलती रहेगी। कौशलों के अंतरण के मूल्यांकन के लिए नीचे दिए गए स्केल का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थी को 0 से 10 तक अंक प्रदान किये जा सकते हैं। नीचे दिए गए स्केल में अंक 1,3,5,7,9 के लिए स्केल दिया गया है। इस आधार पर 3 एवं 5 के बीच आनेवाले शिक्षार्थी को 4 अंक प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार स्केल 0 से अधिक दक्षतावाले शिक्षार्थी को दक्षतानुसार अधिकतम 10 अंक तक प्रदान किये जा सकते हैं। मूल्यांकन के इस स्केल की जानकारी शिक्षार्थियें को सत्र के प्रारंभ में ही दे दी जानी चाहिए।

कौशलों के अंतरण का मूल्यांकन

श्रवण (सुनना)	वाचन (बोलना)
• विद्यार्थी में परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को समझने की सामान्य योग्यता तो है, किन्तु आशय को सम्बद्ध रूप में नहीं समझ पाता।	• शिक्षार्थी में मात्र शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता तो है, किंतु वह उन्हें सुसम्बद्ध रूप में बोल नहीं पाता।
• लघु–लघु संबद्धों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है।	• परिचित संदर्भों में मात्र लघु–लघु संबंद्ध कथनों को सीमित शुद्धता के साथ प्रयोग करता है।
• परिचित या अपरिचित– दोनों प्रकार के संदर्भों में कथित सूचना को स्पष्टतः समझने की योग्यता तो है किंतु भाषागत अशुद्धियाँ भी हैं, जो भावाभिव्यक्ति में अवरोध उपस्थित करती हैं।	• लघु की अपेक्षा दीर्घ भाषण में अधिक जटिल कथनों के प्रयोग की योग्यता लक्षित होती है किंतु संप्रेषण या अभिव्यक्ति में अवरोधक कुछ अशुद्धियाँ भी पायी जाती है।
• दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझता है और निष्कर्ष निकाल सकता है	• अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित का धारा–प्रवाह प्रस्तुत कर सकता है। कुछ अशुद्धियों के बावजूद सम्प्रेषण निर्बाध रहता है।
• उद्देश्य के अनुकूल सुनने की कुशलता के साथ जटिल कथनों के विचार–बिंदुओं की समझ है।	• नगण्य अशुद्धियों से युक्त प्रसंग और श्रोता– दोनों के अनुरूप भाषण–शैली का प्रमाण देता है।

ब) **औपचारिक जाँच परीक्षा** (10%) : संवाद दक्षता के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन ही बेहतर है, किन्तु यदि किसी विद्यालय की ऐसी इच्छा है तो वह 10 अंकों की औपचारिक जाँच व्यवस्था भी कर सकता है; किन्तु ऐसी औपचारिक जाँच केवल सत्रांत में ही ली जाएँगी। औपचारिक जाँच समूह–अन्तर्वार्त्ता के रूप में ली जाएगी। 4–5 शिक्षार्थियों का एक समूह होगा। प्रत्येक समूह बारी–बारी से दिए गए विषय पर परिचर्चा करेगा। रटंत शिक्षा को हतोत्साहित करने के लिए, परिचर्चा प्रारंभ करने के सिर्फ 10 मिनट पूर्व परिचर्चा के विषय को बताया जाएगा। परिचर्चा के दौरान विषय–शिक्षक अपने किसी सहकर्मी शिक्षक के साथ प्रत्येक शिक्षार्थी की सहभागिता एवं प्रवीणता का अवलोकन करेंगे एवं कौशलों के अंतरण के मूल्यांकन स्केल के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक प्रदान करेंगे। संबंधित विद्यालय को प्रत्येक शिक्षार्थी की अलग–अलग अन्तर्वार्त्ता लेने का भी विकल्प रहेगा, जिसके अन्तर्गत वाद–विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता करायी जा सकती है।

स) प्रदत्त कार्य (20%)

पाठ–सामग्रियों पर आधारित कई गतिविधियों को सतत मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रदत्त कार्य के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। ये प्रदत्त कार्य प्रयोजना (Project) कार्य के रूप में भी हो सकते हैं। इन प्रदत्त कार्यों में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अभिलेख रखा जाएगा एवं इस कार्य में उसके प्राप्तांक को स्तरांत के कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा। इन प्रदत्त कार्यों के लिए 20 अंक निर्धारित किये गये हैं।

चूँकि वाचन–दक्षता का मूल्यांकन लिखित कार्य द्वारा नहीं किया जा सकता, अतः इस दक्षता की जाँच प्रमुख रूप से संवाद–दक्षता के अंतर्गत की जाती है। पठन दक्षता का मूल्यांकन पाठ से संबंधित ऐसी गतिविधियों से किया जा सकता है जिनमें लेखन–कार्य यथा नोट बनाने, टेबल बनाने या सारांश लिखने आदि की आवश्यकता पड़ती है। यह देखते हुए कि ये प्रदत्त कार्य श्रवण/पठन–दक्षता के मूल्यांकन के लिए हैं, शिक्षार्थी को इसी आधार पर अंक प्रदान किया जाना चाहिए कि वे सुनकर अथवा पढ़कर विषयवस्तु को कितना समझ पाते हैं। ऐसे प्रदत्त कार्यों में शिक्षार्थी के अंकों में विराम चिन्हों, हिज्जे या व्याकरण संबंधी गलतियों के लिए कटौती नहीं की जानी चाहिए। बोधगम्यता निर्धारण के लिए मूल्यांकन स्केल की आवश्यकता नहीं।

द) लेखन कौशल का मूल्यांकन :

शिक्षार्थी की भाषिक दक्षता के समग्र मूल्यांकन का यह एक महत्त्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। अतएव अधिकांश प्रदत्त लेखन–कौशल को ध्यान में रखकर दिए जाएँगे।

प्रदत्त कार्यों में प्रत्येक वर्ष भिन्नता होनी चाहिए। शिक्षक पूरे वर्ष के प्रदत्त कार्यों/गृहकार्यों/वर्गकार्यों का अभिलेख रखेंगे एवं शिक्षार्थी के प्राप्तांक को (20 अंकों में) स्तरांत परीक्षा के अंक के साथ जोड़ेंगे। वर्ग नवम की स्तरांत परीक्षा का अंकभार 40% होगा।

ख) अन्य अनिवार्य विषय :

भाषा के अतिरिक्त गणित, विज्ञान एवं समाज विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनिवार्यता अब विवादास्पद नहीं है। इसकी आवृत्ति से एक तरफ छात्रों की उपलब्धि का कुछ काल के अन्तराल पर पता चलता रहता है, नियमित अध्ययन की अभिप्रेरणा मिलती है, अधिगम के कमजोर बिन्दुओं की पहचान के साथ उनका निदान भी संभव हो पाता है। दूसरी तरफ इसमें सम्मिलित युक्तियाँ मूल्यांकन को व्यावहारिक जीवन से निकट–संबंध का बोध कराती हैं जिसकी परिणति के रूप में छात्र अपने जीवन का निर्माण कर पाने में उपलब्ध ज्ञान का सहजता से उपयोग कर पाते हैं। ये युक्तियाँ निम्नांकित हो सकती है–

(i) प्रयोजना कार्य
(ii) प्रायोगिक कार्य
(iii) गतिविधि द्वारा मूल्यांकन
(iv) प्रदत्त कार्य
(v) जाँच
(vi) समूह वार्त्ता
(vii) भाषण/व्याख्यान

व्यावहारिक कठिनाई के कारण बोर्ड की परीक्षा में तात्कालिक तौर पर केवल विज्ञान में प्रयोग को सम्मिलित किया गया है, परन्तु विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन की समेकित व्यवस्था में अंक–भार निम्न रूप में निश्चित किये जा सकते हैं –

1. सतत मूल्यांकन–	60% [30%+30%]
(क) प्रायोगिक/प्रयोजना–	20%
(ख) गतिविधि द्वारा मूल्यांकन–	20%
(ग) प्रदत्त कार्य–	
(घ) औपचारिक जाँच–	60%
2. स्तरांत परीक्षा–	40%

विज्ञान के लिए प्रायोगिक कार्य होगा जबकि सामाजिक विज्ञान/गणित के लिए प्रयोजना की युक्ति अपनायी जायेगी। गणित में गतिविधि आधारित मूल्यांकन अपनाया जाए जबकि समाज विज्ञान में प्रयोजना एवं प्रदत्त कार्य की युक्ति ज्यादा कारगर होगी। यदि विज्ञान विषय में केवल प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित की जाती है तो उसमें निर्धारित अंक का 50% प्रयोगों से जुड़े प्रश्नों के लिए रखा जाएँ। ये प्रश्न लिखित हों या मौखिक पर वस्तुनिष्ठ हों।

प्रयोगों का चयन/प्रयोजना कार्यों का चयन, प्रदत्त कार्य एवं आयोजित गतिविधि पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए। इनके चयन में स्थान, काल एवं व्यावहारिक होने की संभावना का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लिखावट में त्रुटि या भाषायी अशुद्धि के लिए दण्डित नहीं किया जाए। प्रत्येक

विद्यार्थी के लिए अलग अभिलेख संधारित किया जाए और अंतिम परीक्षाफल में अंकभार का समतुल्य अंक प्रदान किया जाए।

5. औपचारिक प्रश्नोत्तर प्रणाली :

आज की तिथि में छात्र की उपलब्धि के स्तर को ज्ञात करने के लिए औपचारिक लिखित परीक्षा की विधि सर्वाधिक प्रचलित है। यह पद्धति कितनी कारगर और कितनी उपयुक्त है, यह अलग मुद्दा है, परन्तु मूल्यांकन में पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठता के कारण अधिक लोकप्रिय है। फिर भी, कुछ मौलिक प्रश्न हैं जिनपर शीघ्र ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। जैसे– प्रश्न का स्वरूप यानि प्रश्न कैसे पूछे जाएँ ? चूँकि विद्यालय और बोर्ड स्तर की सामान्य परीक्षाएँ अधिगम स्तर की जानकारी के लिए होती है न कि चयन के लिए, अतः प्रश्नों का स्वरूप विषयवस्तु की ओर आमंत्रित करता हुआ हो अर्थात् प्रश्न में स्पष्ट झलक मिलनी चाहिए कि प्रश्न किस प्रकरण से और किस प्रसंग से है। प्रश्नों की रचना में भाषा और भाव की स्पष्टता हो एवं वे मानकीकृत हों। पुनः उनका स्पष्ट उत्तर हो।

अतः यह अपेक्षा प्रासंगिक है कि विद्यालय की परीक्षा में प्रश्नों के चयन में उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। यह जरूरी नहीं कि विद्यालय स्तर की परीक्षा के लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत प्रश्न–पत्र तैयार किया जाएँ। विद्यालय स्तर पर भी प्रश्न–बैंक विकसित किया जा सकता है। बेहतर तो यह होगा कि इकाई समाप्ति पर विषय–शिक्षक छात्रों को पुस्तकों की सहायता से प्रश्न तैयार करने को कहें और प्राप्त प्रश्नों का संकलन, संपादन और मानकीकरण के बाद प्रश्न–बैंक तैयार किया जाए।

*****

शैक्षणिक कैलेण्डर एवं प्रगति पत्रक

सामयिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

- शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होना है। यह व्यवस्था सत्र 2007–08 से लागू है।
- सामान्यतः शहरी क्षेत्र के विद्यालय प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक चलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक चलेंगे।
- शैक्षिक कैलेण्डर का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- वर्ष में तीन सावधिक परीक्षाएँ होंगी। सतत एवं नियमित मूल्यांकन-प्रणाली व्यवहार में लाई जएगी। विद्यालय के वार्षिक परीक्षाफल का निर्धारण सभी सावधिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के औसत पर होगा।
- सुविधानुसार शिक्षकों के साथ अभिभावकों की बैठकें नियत अंतराल पर संबंधित विद्यालयों में होंगी।
- विद्यालय में वार्षिक दिवस समारोहपूर्वक मनाया जाएगा जिसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करने की व्यवस्था होगी।
- प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में प्राचार्य और सहायक शिक्षक आपस में शैक्षिक गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास की समीक्षा करेंगे एवं इसके लिए अपेक्षित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- छात्र-छात्राओं की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी हस्त-कलाकृतियों तथा वैज्ञानिक निर्मितियों की एक प्रदर्शनी शैक्षिक-सत्र के अंत में लगाई जाएगी।
- पहले से प्रचलित सत्रह-सूत्री कार्यक्रमों से सभी परिचित हैं किंतु जिनको व्यवहारिक रूप देना अपेक्षित है।
- प्रतिदिन चेतना सत्र (प्रार्थना) के समय प्रेरणादायक संकल्प लिये जाएँगे। शनिवार की अंतिम दो घंटियों में सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों पर क्वीज, चर्चा, भाषण, गतिविधि-चित्रांकन, काव्यपाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाएँगे।

विद्यालय परिसर की वार्षिक योजना

रविवार—52 **अन्य अवकाश—60** **निरीक्षी अवकाश—03**

कार्य दिवस:

1. न्यूनतम शिक्षण दिवस	226	6. सावधिक परीक्षा	16
2. अभिभावक गोष्ठी	02	7. शैक्षिक भ्रमण	01
3. वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन	01	8. छात्र योग्यता प्रदर्शनी	01
4. पुरस्कार वितरण समारोह	01	9. शिक्षक दिवस	01
5. बाल दिवस	01	10. खेल-कूद प्रतियोगिता	01

माध्यमिक स्तर वर्ग IX एवं X के वर्ग शिक्षण की विषयवार साप्ताहित घंटी

सोमवार से शुक्रवार—

1. भाषा (हिन्दी + संस्कृत-उर्दू + अंग्रेजी)	14 घंटी (5 + 4 + 5)
2. गणित	06 घंटी
3. विज्ञान (सैद्धांतिक) + प्रायोगिक	06 घंटी + 02 घंटी
4. सामाजिक विज्ञान	06 घंटी
5. अनिवार्य ऐच्छिक विषय	04 घंटी
6. किशोरावस्था शिक्षा/सफाई/पर्यावरण/संगीत/खेल-कूद	01 घंटी
7. पुस्तकालय	01 घंटी
	कुल : 40 घंटी

शनिवार—

8. वर्ग शिक्षण	02 घंटी
9. शारीरिक शिक्षा/योगा	01 घंटी
10. छात्र संसद्/समूह चर्चा	02 घंटी
	कुल : 05 घंटी
	कुल : (40 + 5) = 45 घंटी

प्रतिदर्श दैनिक समय-सारणी

क्र० सं०	घंटी का समय	अवधि	कुल अवधि	अभियुक्ति
1.	09:00 प्रातः	09:00–09:30	30 मिनट	चेतना सत्र*
2.	09:30	09:30–10:15	45 मिनट	छात्र/छात्रा की उपस्थिति तत्पश्चात् पाठ्य-अध्ययन
3.	10:15	10:15–10:50	35 मिनट	दूसरी घंटी
4.	10:50	10:50–11:25	35 मिनट	तीसरी घंटी
5.	11:25	11:25–12:00	35 मिनट	चौथी घंटी
6.	12:00	12:00–12:30	30 मिनट	अल्पाहार
7.	12:30	12:30–01:10	40 मिनट	पाँचवीं घंटी

8.	01:10	01:10–01:45	35 मिनट	छठी घंटी
9.	01:45	01:45–02:20	35 मिनट	सातवीं घंटी
10.	02:20	02:20–02:55	35 मिनट	आठवीं घंटी
11.	02:55	02:55–03:00	05 मिनट	राष्ट्रगान एवं समापन

*चेतना सत्र में प्रांगण की सामूहिक सफाई/अभियान गीत/प्रार्थना/समाचारपत्र वाचन/महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट सूचनाएँ तथा संकल्प शामिल होंगे।

द्रष्टव्य :

- सत्र अप्रैल माह से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के मार्च तक चलेगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों के बीच विद्यालय के आंतरिक विभाग का वितरण हो जाए।
- सावधिक परीक्षाएँ क्रमशः जुलाई, नवम्बर एवं मार्च महीने में ली जाएँ।
- विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा लगातार दो घंटियों की होगी। इसमें वर्ग-विशेष के छात्रों को तीन समूहों में बाँटकर तीनों विषयों की प्रायोगिक कक्षाएँ एक साथ चलेंगी। समूह एवं विषय का क्रम बदल कर प्रत्येक समूह को प्रत्येक विषय के प्रयोग का मौका दिया जाएगा।
- विषय शिक्षक प्रत्येक पाठ की समाप्ति के पश्चात् छात्रों की उपलब्धि की जाँच करेंगे एवं छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए निदानात्मक शिक्षण करेंगे।
- पुस्ताकलय के लिए प्रत्येक सप्ताह एक घंटी होगी, परन्तु जिन छात्रों को उस दिन पुस्तक की लेन-देन नहीं करनी होगी, वे इको-क्लब के कार्य में सहयोग देंगे।
- प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस को प्राचार्य के साथ शिक्षकों की समीक्षा बैठक होगी।
- पाठ्यक्रम में प्रस्तावित शिक्षण दिवस से विद्यालयों का कार्य दिवस अधिक रहता है। अधिक कार्य दिवसों में पूर्व में पढ़ाए गए पाठों का अभ्यास या पुनरावृत्ति की जाएगी।
- पाठ्यक्रम में प्रस्तावित शिक्षण दिवस में कमी लाना छात्र हित में नहीं है। यदि किसी कारणवश इस संख्या में कमी आती है तो विषय शिक्षक अपने स्तर से प्राचार्य की सहमति से अतिरिक्त कक्षा लेकर पाठ्यक्रम का शिक्षण पूर्ण करेंगे।
- गृहकार्य की जिम्मेदारी विषय-शिक्षक की होती है। वे अपने द्वारा दिये गये गृहकार्य को छात्रों द्वारा विद्यालय-डायरी में अंकित करवाएँगे एवं उक्त पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही अगले दिन कृत गृहकार्य का अवलोकन भी करेंगे। शिक्षक एवं अभिभावक विद्यालय डायरी में अपना मंतव्य अंकित करेंगे। समय-समय पर इसका अवलोकन प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।
- वर्ग X के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण, जाँच परीक्षा के पूर्व पूर्ण करने के लिए प्रधानाध्यापक, छात्र संसद् के लिए आवंटित घंटी के स्थान पर विषय शिक्षण की व्यवस्था संबंधित शिक्षकों की सहभागिता से सुनिश्चित करेंगे।
- पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बिन्दुओं की चर्चा के संधारण के लिए एक 'दैनिक शिक्षण विवरणी पंजी' विद्यालय में रखी जाएगी।
- विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- विद्यालय में लिखित सावधिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच यथासंभव उसी विषय के अन्य शिक्षक (विषय शिक्षक को छोड़कर) करेंगे।

- विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चार्ट, मॉडल इत्यादि का प्रयोग, वर्ग कक्ष को सजाने के लिए किया जाएगा।
- इको-क्लब के संरक्षण में बागवानी की भी व्यवस्था रहेगी।
- शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक के संबंध में निकटता लाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाएगा।
- छात्रों को स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान किया जाएगा।

विशेष कार्य

- दैनिक शिक्षण विवरणी पंजी में प्रत्येक शिक्षक के नाम का एक अलग पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ में शिक्षक प्रतिदिन प्रत्येक घंटी में अपने द्वारा किए गए कार्य को अपनी लिखावट में अंकित करेंगे। कक्षा में करवाए गए कार्य, गृहकार्य, जाँच परीक्षा, उपयोग की गई सहायक सामग्री इत्यादि का अंकन भी शिक्षण विवरणी पंजी में किया जाएगा।
- एक शिक्षक अपने विषय में कुल जितने छात्रों को पढ़ाते हैं, इस संख्या से उन सभी छात्रों के लब्धांकों के योग को विभाजित कर प्रतिशत अंक की गणना की जाएगी। ऐसा अंक उस विषय के शिक्षक विशेष की शैक्षणिक कुशलता को प्रदर्शित करता है। इस तरह प्रत्येक शिक्षक को शैक्षणिक कुशलता का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाएगा।

प्रधानाध्यापक से अपेक्षा

- किसी शिक्षक की अनुपस्थिति की स्थिति में अन्य शिक्षक को उनके कार्य की जिम्मेदारी पहली घंटी में ही सुनश्चित कर दी जाएगी।
- सूचना पंजी, आदेश पंजी, छात्र संसद् के कार्यक्रमों की पंजी, खेल-कूद कार्यक्रमों की पंजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पंजी के साथ-साथ अभिभावकों के मंतव्य के संधारण के लिए एक अभिभावक संगोष्ठी पंजी/शिकायत पंजी का संधारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा चलाई जा रहीं अन्य योजनाओं के नियमित संचालन से संबंधित पंजियाँ भी रखी जाएँगी, जैसे—इको क्लब पंजी, रेड-रीबन पंजी इत्यादि।
- परीक्षा के कार्यक्रमों के लिए एक अलग पंजी का संधारण होगा, जिसमें प्राप्त प्रश्न-पत्रों की संख्या, उपयोग में लाई गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या के साथ-साथ प्रत्येक कक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा।
- दैनिक/साप्ताहिक/वार्षिक/कार्य योजना को मूर्त रूप देने में मुख्य प्रबंधक की भूमिका प्रधानाध्यापक की ही होगी।
- शिक्षक दैनिक उपस्थिति पंजी, दैनिक शिक्षण विवरणी पंजी, अनुपस्थिति विवरणी पंजी, (अनुपस्थित अथवा अवकाश में रहने वाले शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को कक्षा कार्य की आवंटन पंजी) का संधारण प्रतिदिन किया जाएगा।
- प्रतिदिन कक्षा का निरीक्षण करना, छात्र से वार्तालाप का समय निकालना एवं समय-समय पर उनके गृह कार्य तथा कक्षा कार्य की जाँच किया जाएगा।
- विद्यालय में होनेवाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना देना एवं छात्र संसद् के कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया जाएगा।
- छात्रों की उत्सुकता एवं जागरूकता को बनाए रखने के लिए शिक्षण के अतिरिक्त अन्य पाठ-सहगामी कार्यक्रमों की व्यवस्था।
- अभिभावक-गोष्ठी में स्वयं उपस्थित रहना एवं अभिभावकों के मंतव्यों को पंजी में संधारण करना एवं यथासंभव सुझावों पर अमल करना।
- परिसर में सफाई एवं अनुशासन की व्यवस्था बनाए रखना तथा तम्बाकू इत्यादि के प्रयोग पर रोक लगाना।

शिक्षकों से अपेक्षा

- समय पालन, व्यवस्था का आदर, स्वाध्याय, व्यायाम एवं स्वस्थ चिंतन शिक्षकों के स्वभाव में निहित हो।
- श्रमनिष्ठा, ध्येय के प्रति सजगता, कर्मठता, सामूहिक चिंतन, टीम भावना, व्यवहार कुशलता एवं कर्त्तव्यपरायणता शिक्षकों की पहचान हो।
- बालकों के प्रति स्नेह-श्रद्धा, अभिभावक के प्रति आत्मीय भाव एवं अन्य हितैषियों के प्रति सम्यक् दृष्टि कार्य का आधार बने।
- शिक्षक स्वयं अपने सर्वांगीन विकास की समीक्षा समय-समय पर करें और उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयत्नशील रहें।
- अधिगम स्तर में सुधार के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें।
- पाठ को शिक्षार्थियों के अनुभव एवं परिवेश से जोड़ें।
- कक्षा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करें न होने दें।
- कक्षा में धूम्रपान, खैनी, गुटका, आदि मादक द्रव्यों का सेवन न करें।
- शिक्षण की पारदर्शिता एवं स्व-मूल्यांकन के लिए शिक्षण-विवरणी पंजी का नियमित संधारण करें।

छात्र-संसद्

छात्र-संसद् को विद्यालय गतिविधि का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया गया है। इसमें विद्यार्थियों के व्यक्तित्त्व-विकास के साथ-साथ सह-अस्तित्त्व की परिकल्पनाओं को मूर्त्त रूप देने का प्रयास किया गया है। इस गतिविधि में जीवन स्तर में सुधार के लिए जीवन से शिक्षा को जोड़ने वाले पक्षों को प्रश्रय दिया गया है।

छात्र-संसद् के कार्यक्रमों में, छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए भाषा के शिक्षक विशेष रूप से मदद करेंगे। कार्यक्रमों के विषय के आधार पर विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक छात्रों का दिशा निर्देशन करेंगे। छात्र-संसद् में सभी शिक्षक सम्मिलित होंगे। छात्र-ससद् का आयोजन प्रत्येक शनिवार को होगा।

किसी जयंती अथवा महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर यदि विद्यालय में अवकाश नहीं है तो उस दिन ही उस उपलक्ष्य में खास समारोह का आयोजन अंतिम दो घंटी में किया जाएगा तथा उन दो घंटियों की पढ़ाई का समायोजन आने वाले शनिवार को छात्र-संसद् के स्थान पर किया जाएगा।

विद्यालय के सभी नामांकित छात्र, छात्र-संसद् के सदस्य होते हैं। सामान्य संसदीय परम्परा के अनुरूप सत्र के प्रथम माह में छात्र-संसद् के मंत्रीपद का निर्वाचन होगा, जिसमें अनुशासन मंत्री (2); उपस्कर मंत्री (2); सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री (2); खेलकूद मंत्री (2); जल संरक्षण मंत्री (2); ऊर्जा संरक्षण मंत्री (2); सूचना मंत्री (2); शिक्षा मंत्री (2); के साथ-साथ प्रत्येक कक्षा के मॉनिटर (2); एवं विद्यालय का एक सभापति का चुनाव छात्र-मत; शिक्षक-मत; प्राप्त पुरस्कारों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। निर्वाचित छात्रों का शपथग्रहण-समारोह भी होगा। शपथ ग्रहण के पूर्व का छात्र-संसद्-कार्यक्रम शिक्षकों के द्वारा संचालित होगा।

पाठ-सहगामी गतिविधियाँ निम्न बिंदुओं पर केन्द्रित होंगी—

- स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सफाई (i) यत्र-तत्र न थूकें (ii) खुले में शौच न करें इत्यादि
- हमारे अधिकार और कर्त्तव्य/हमारे राष्ट्र निर्माता
- मंत्री एवं सभापति का निर्वाचन
- शपथ ग्रहण समारोह
- एकता ही बल है/अनुशासन एवं स्वशासन
- घटती दूरियाँ/दुनिया एक गाँव

- नशा से होता है नाश
- बिहार के पर्यटक स्थल
- प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण
- अपने परिवेश को प्रदूषण से कैसे बचाएँ
- श्रममेव जयते (श्रम का सम्मान)
- जनबल-वरदान और अभिशाप
- सुरक्षित भविष्य के लिए जल संसाधन का संरक्षण
- विज्ञान संगोष्ठी के निर्धारित विषय पर परिचर्चा/तैयारी
- शिक्षा और स्वालम्बन/अपना काम स्वयं करें
- पर्यावरण संतुलन
- शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में संतुलित आहार का महत्त्व
- ऊर्जा संरक्षण दिवस
- गणित एवं विज्ञान में भारत का योगदान
- एड्स दिवस/जीवन स्तर में सुधार के लिए सतर्कता
- लिंग भेद को समाप्त करने के उपाय/महिलाओं, बच्चों एवं बुजर्गों का सम्मान
- मानवाधिकार दिवस
- नववर्ष
- विवेकानन्द जयन्ती एवं पूर्ववर्त्ती छात्र-छात्राओं का मिलन समारोह
- सुभाषचन्द्र बोस एवं गुरु गोविन्द सिंह का संदेश/वर्त्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता
- शहीद दिवस/देश प्रेम/स्वतंत्रता संग्राम की अमर कहानी

परीक्षाफल (रिपोर्ट कार्ड)

रिपोर्ट कार्ड के द्वारा छात्र की उपलब्धि का समेकित प्रस्तुतीकरण किया जाता है। महत्ता एवं विविध उपयोग के कारण प्रत्येक विद्यार्थी का रिपोर्ट-कार्ड संधारण अपेक्षित है। रिपोर्ट कार्ड का एक प्रारुप संलग्न है। इसमें व्यक्तित्व-विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तीन क्षेत्रों में छात्र की उपलब्धि को सम्मिलित किया गया है।

1. **शैक्षिक क्षेत्र**—शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक/व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर अंकों में होगा। वार्षिक परीक्षाफल तीनों सावधिक-परीक्षाओं के प्राप्तांकों का औसत होगा।
2. **सहगामी-पाठ्य आधारित**—संगीत, कला एवं शारीरिक शिक्षा में उपलब्धि का मूल्यांकन लिखित एवं व्यावहारिक दोनों ही तकनीकों द्वारा किया जाएगा जबकि समाजोपयोगी उत्पादन कार्य का मूल्यांकन छात्र द्वारा बनायी गयी सामग्री के आधार पर ग्रेडिंग द्वारा होगा।
3. **सह-शैक्षिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में मूल्यांकन में यह ध्यान रखा जाएगा कि छात्र, समाज-निर्माण में सकारात्मक योगदान कर सकें। इसमें (i) सहयोग की भावना, (ii) समय की पाबंदी, (iii) पर्यावरण संरक्षण, (iv) स्वच्छता की आदत, (v) अनुशासन, (vi) उत्तरदायित्व निर्वहन की आदतें, आदि का मूल्यांकन दैनिक अवलोकन के आधार पर रेटिंग स्केल पर किया जाएगा।